

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: एफ.2(1)()मबावि/आ.क.को./आईसीडीएस/18-19/122565-597 जयपुर, दिनांक: 5-7-18

समस्त उप निदेशक
समेकित बाल विकास विभाग

विषय:- समूह बीमा योजना में शेष रही महिला मानदेय कर्मिकों को भी जोड़ने बाबत।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 94066-98 दिनांक 28.05.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि मानदेय कर्मियों का आंगनबाड़ी कल्याण कोष के सामूहिक बीमा योजना के तहत विभाग द्वारा जीवन बीमा निगम को राशि जमा करवाई जाती है।

इस कार्यालय को सूचना मिली है कि अभी भी कुछ मानदेय कर्मियों की राशि सामूहिक बीमा योजना के तहत जमा नहीं करवाई जाती है। कृपया इस क्रम में निम्न प्रपत्र में सामूहिक बीमा योजना से वंचित मानदेय कर्मियों की सूचना भेजना सुनिश्चित करें :-

क्र. स.	मानदेय कर्मियों का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	परियोजना का नाम	विशेष विवरण


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.2(1)()मबावि/आ.क.को./आईसीडीएस/18-19/122598-903 जयपुर, दिनांक: 5-7-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया कार्यालय राज्य मंत्री (स्तवंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास विभाग सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक 990 दिनांक 20.06.2018 के क्रम में।
- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी राजस्थान।
- एसीपी (उप निदेशक), कम्प्यूटर अनुभाग को वेब साईट पर अपलोड करने बाबत।


निदेशक